International Journal of Applied Research 2019; 5(12): 304-307

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(12): 304-307
www.allresearchjournal.com
Received: 14-10-2019
Accepted: 18-11-2019

डॉ0 पिंकी कुमारी
द्वारा–श्री सत्यनारायण सहनी
मो0–रहमगंज कोल डिपो,
पो0–लालबाग, दरभंगा, बिहार,
भारत।

Correspondence Author:
डॉ0 पिंकी कुमारी
द्वारा–श्री सत्यनारायण सहनी
मो0–रहमगंज कोल डिपो,
पो0–लालबाग, दरभंगा, बिहार,
भारत।

भारतीय समाज में बाल अपराध की समस्या

डॉ0 पिंकी कुमारी

संक्षिप्त सार
भारत में सामान्य रूप में छोटे अपराध और विशेषरूप में जघन्य अपराध बच्चों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे हैं। चोरी, सेंधमारी, झटके से छीनने जैसे अपराध जिनकी प्रकृति बहुत गंभीर नहीं हैं या डकैती, लूटमार, हत्या और दुष्कर्म आदि जैसे अपराध जो गंभीर प्रकृति से संबंधित है पूरे देश में उत्थान पर हैं और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि इस तरह के सभी अपराध 18 साल की आयु से कम के बच्चों द्वारा किये जा रहे हैं। इस प्रकार बाल अपराध में बालकों के असमाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार को लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। रॉब्निसन के अनुसार आवारागर्दी, भीख माँगना, निरूद्देश्य इधर–उधर घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है। गरीबी सबसे बड़ा कारण है जो बच्चे को अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिये मजबूर करती है। इसके अलावा आजकल सामाजिक मीडिया की भूमिका को किशोरों के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक डालती है।

शब्द संकेतः अपराध, आवारागर्दी, निरूद्देश्य, नकारात्मक एवं दुष्कर्म

विषय–प्रवेश :
बच्चो को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति भी माना जाता है। वैयक्तिक रूप से, माता–पिता अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिये स्वस्थ्य सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने की अनुमति और अवसर प्रदान करें ताकि वो जिम्मेरदार नागरिक, शारीरिक रूप से तंदरूस्त, मानसिक और नैतिक रूप से स्वस्थ्य बन सकें। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों को उनकी बढ़ती हुई आयु की समयावधि पर विकास के लिये समान अवसर प्रदान कर जो असमानता को कम करके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके। बच्चों से आज्ञाकारी, बड़ों का आदर करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह के बच्चे अधिकतर अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिसे बाल अपराध के रूप में जाना जाता है। भारत में किशोरों द्वारा अपराध एक कड़वी वास्तविकता है। वर्तमान समय में बच्चे बहुत से खतरनाक अपराध में शामिल पाये जाते हैं जैसे हत्या सामूहिक दूष्कर्म आदि। ये एक चिन्ता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किये जाने वाले इस तरह के अपराधिक कृत्यों से दुखी है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान कानून स्थिति को नियंत्रित करने के लिये अपर्याप्त है और हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है ताकि खतरनाक अपराधी के लिये किशोरों को भी वयस्कों की तरह दंडित किया जाये। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं जो इस विचार को नहीं मानते हैं।

भारत में सामान्य रूप में छोटे अपराध और विशेषरूप में जघन्य अपराध बच्चों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे हैं। चोरी, सेंधमारी, झटके से छीनने जैसे अपराध जिनकी प्रकृति बहुत गंभीर नहीं हैं या डकैती, लूटमार, हत्या और दुष्कर्म आदि जैसे अपराध जो गंभीर प्रकृति से संबंधित है पूरे देश में उत्थान पर हैं और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि इस तरह के सभी अपराध 18 साल की आयु से कम के बच्चों द्वारा किये जा रहे हैं।

16 से 18 वर्ष की आयु समूह वाले किशोर इन जघन्य अपराधों में अधिक शामिल पाये जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिपार्ट ब्यूरों के अनुसार 2013 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तरह नाबालिगों के खिलाफ 43,506 और विशेष स्थानीय कानून के तहत किशोरों द्वारा जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है के खिलाफ 28,830 अपराधिक मामले दर्ज हैं।

आंकड़े दिखाते हैं कि 2013 में 2012 की तुलना में, किशोर मामलों में आई.पी.सी. और एस.एल.एल. में क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोध कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोध कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग–अलग है। इस आधार पर किसी भी राज द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिये आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती अतः कुछ विद्वान, बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारगर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता–पिता एवं संरक्षकों की आज्ञाा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चरित्राहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि। किन्तु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मिति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जायेगा। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।

इस प्रकार बाल अपराध में बालकों के असमाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार को लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। रॉब्निसन के अनुसार आवारागर्दी, भीख माँगना, निरूद्देश्य इधर–उधर घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है। उपयुर्क्त परिभाषाअें के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला एवं समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाल अपराधी होता है जैसा कि न्यूमेयर का कहना है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं होता। परिस्थितियाँ उसे ऐसा बना देती है। किसी के भी जीवन और पूरे व्यक्तित्व को नया रूप देने में घर के अन्दर और बाहर का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ बहुत से आम मामलें जो किशोर अपराध से जुड़े हुये हैं गरीबी नशीली दवाईयों का सेवन असामाजिक साथियों का समूह आग्येास्त्राों की आसान उपलब्धता, अपराधिक प्रवृत्ति के माता–पिता, एकल अभिभावकीय बच्चे, एकल परिवार, पारिवारिक हिंसा, बाल यौन शोषण और मीडिया की भूमिका आदि।

हालांकि जहाँ तक भारत का संबंध है, ये गरीबी और मीडिया का प्रभाव है, विशेषरूप से सामाजिक मीडिया जिसने किशोरों को अधिक अपराधिक गतिविधियों की ओर झुका दिया है। गरीबी सबसे बड़ा कारण है जो बच्चे को अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिये मजबूर करती है। इसके अलावा आजकल सामाजिक मीडिया की भूमिका को किशोरों के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव के स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक डालती है।

भारत में कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के मामले में पहला विधान या बच्चों का अपराध करना प्रशिक्षु अधिनियम, 1850 था। इसमें प्रावधान था कि 15 से कम आयु का बच्चा यदि छोटे अपराध को करते हुये पाया गया तो एक प्रशिक्षु के रूप में बंधक बनाया जायेगा।

इसके बाद सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 प्रभाव में आया, जिसने ये प्रावधान किया कि 18 साल से अधिक आयु वाले बच्चों को दंड देकर जेल के सुधार घर में भेजा जायेगा। अब बच्चों का परिपक्वता स्तर 10–20 साल पहले की तरह नहीं रह गया है। बच्चे वर्तमान में इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव से बहुत जल्दी मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए अलग प्रभाव डालने के लिये ये आवश्यक है कि 16 से 18 साल की आयु वाले इस तरह के अपराधियों को वयस्कों की तरह दंडित किया जाये ताकि पीड़ित या पीड़िता को न्याय मिल सके।

ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि क्यों समाज एक बच्चे को स्वस्थ्य और उचित बचपन प्रदान नहीं कर पा रहा है और क्यों सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के भेदभाव और अभाव है साथ ही राज्य बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने में क्यों असफल हो रहा है कि वो बच्चों को अपराधिक गतिविधियों की खाई में जानें दे रहा है।

भारत में बढ़ता बाल अपराध :

भारतीय कानून के अनुसार सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिसिथतियां उत्तरदायी होती हैं इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधों के लिए अलग कानून और न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उनके न्यायाधीश और संबंधित वकील बालमनोविज्ञान के अच्छे जानकार होते हैं। किशोर अपराधियों को दंड नहीं बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है जहां उनकी दूषित हो चूकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसे बच्चों के साथ घृणित वर्ताव ना अपना कर उनके प्रति सहानूभूति प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है। सामान्य रूप से देखें तो शहर के विद्यार्थियों से केवल जंगलों के बीच में बसे हुए गांव के विद्याथियों में उदंडता, उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता आज सामान्य हो गयी हैं। भावी पीढ़ी के इन कर्णधारों के चरित्रा की झांकी ले तो छुटेपन से ही अश्लीलताओं, वासनाओं, दुर्व्यसनों की दुर्गन्ध उड़ती दिखाई देती है। छोटे–छोटे बच्चों को बीडी पीते, गुटका खते देखकर ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र बीड़ी पी रहा है, नशा कर रहा है। युवतियों के पीछे अश्लील शब्द उछालता हैं तो ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र काम वासना से उद्दीप्त हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के चार पाँच, सातवे दर्जे के छोटे–छोटे बच्चे–बच्चियों जिन्हें उम्र का एहसास तक नहीं है वर्जनाओं और मर्यदाओं की सभी सीमाओं को पीछे छोड़ चुके हैं।

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। बच्चे भविष्य की धरोहर है, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही हैं बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के माथे एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर भी इसके अलग से कदम उठाने की आवश्यकता है इसके साथ–साथ माता–पिता को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की जरूरत है अन्यता हमारे देश का भविष्य खराब होता रहेगा।

बाल अपराध की दर एवं प्रकृति :

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही है,साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्राण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्राता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं।

सन् 2010 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षों में उतार–चढ़ाव देखने को मिलात है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वहीं बढ़कर सन् 1998 में 1.0 प्रतिशत था इसके पश्चात् सन् 1999–2000 में 0.9 प्रतिशत रही।

बालकों द्वारा किये गये अपराधों में से भारतीय दंड संहिता के अनतर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति संबंधी थे। सन् 2010 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385), लूटमान (1,497), तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गये, इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9), डकैती के (32 प्रतिशत), हत्या के (28.6 प्रतिशत), बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये।

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2,681 और महाराष्ट में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी। बच्चों में शराब, सिगरेट पीना हल्की मादक दवाईयां लेना, गुप–चुप और सपाट से अचानक स्कूल से गायब हो जाना, साईबर कैफे में इंटरनेट पर अश्लीलता से सरोवार होना और बार आदि में जाने के लिए झूठ बोलना, ऐसा परिधान का चयन करना जिन्हें वे घर में भी पहनने का एकसास नहीं जुटा पाते आदि प्रचलन बन गया हैं। हकीकत यह है कि आज के अधिकतर बच्चों में न अभिभावकों के प्रति सम्मान और श्रद्ध ही बचा है और न व्यस्कों के साथ प्रेम और सहयोग की भावना। नैतिकता का स्तर इतना नीचे गिरता जा रहा है कि अध्यापक और बाजार में बैठे दुकानदार उनके लिए समान है। कुछ शेष रहा है तो फैशन, सिनेमा और मटर गस्ती का अन्त हीन आलम। मानसिक रूप से दोषपूर्ण, मानसिक रोग से ग्रसित, परिस्थितजन्य एवं सांस्कृतिक वातावरण के अतिरिक्त बालकों द्वारा किये गये अधिकांश अपराधों में से लगभग 2.3 प्रतिशत ही पुलिस और न्यायालय के ध्यान में आती है। बाल अपराधों का हम यदि आंकलन करें तो स्थानीय एवं स्पेशल विधियों के तहत 1998 में सबसे अधिक आबकारी एक्ट (23.9) और गेम्बलिंग एक्ट (4.6) के अन्तर्गत आते हैं। सन् 1998 में 5 राज्यों महाराष्ट्र (21.6) मध्य प्रदेश (27.2) राजस्थान (8.5) बहार (6.8) आन्ध्र प्रदेश (8.0) में पूरे देश में आई पी. सी. के तहत स्कूल अपराधों में से 77 प्रतिशत हुए। बाल अपराध के मुख्य कारकों में गिरीबी और अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आयाम हैं। बाल अपराध की दरें लडकियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पायी जाती है। बाल अपराध की दरें प्रारम्भ की किशोरवस्था 12–16 वर्ष में उबसे ऊँची है। बाल अपराध ग्रामीण क्षेत्राों की अपेक्षा नगरों में अधिक है।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा

बाल अपराध से संबंधित समस्याओं की ओर मनोवैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है, और इस क्षेत्रा में अनेक अध्ययन किए गए है। कुछ प्रमुख अध्ययनों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

सेठ, हंसा (1961) ने बॉम्बे, पूना और अहमदाबाद के तीन नगरीय क्षेत्राों में बाल अपराधियों का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन का विश्लेषण वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट 1941 से 1956 तक के 16 वर्षों के आधार पर किया और अपराध के पीछे कारक व उनको किस वर्ग में रखा गया है इसका अध्ययन किया। इन्होंने बाल अपराधियों की आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, समुदाय व उनके परिस्थितिक विवरण के आधार पर उनका विश्लेषण किया। बाल अपराध के पीछे सामाजिक कारकों जैसे–पारिवारिक परिस्थिति, माता–पिता का व्यवहार जैसे अन्य कारकों का भी अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि सम्पत्ति के विरूद्ध 457 प्रतिशत, जुआ 5.5 प्रतिशत, हत्या या आत्महत्या 0.4 प्रतिशत, अभद्र व्यवहार 1.3 प्रतिशत, बलात्कार 0.2 प्रतिशत, बिना टिकट यात्रा 9.0 प्रतिशत, रेलगाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकरना 13 प्रतिशत, भारतीय नियमों के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार 0.2 प्रतिशत, सुधार गृहों से पलायन करना 1.'0 प्रतिशत, प्रोबेशन नियमों का उल्लंघ्न 0. प्रतिशत और विभिन्न प्रकार के अपराध 34.9 प्रतिशत थे। बाल अपराध में बालकों की प्रतिशतता 92.2 प्रतिशत थी। 79 प्रतिशत बाल अपराधी लोकल थे जबकि 31 प्रतिशत बाहरी क्षेत्रा के थे। ज्यादातर बाल अपराधियों की आयु 13 वर्ष की थी। हिन्दू धर्म के सबसे अधिक बाल अपराधी 75.84 प्रतिशत थे। 87 प्रतिशत बालिकाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराध हुए थे। 43.5 प्रतिशत अशिक्षित, 31.2 बेसिक, 9.8 प्रतिशत प्राइमरी तथा 1.5 प्रतिशत आठवीं तक्र शिक्षा प्राप्त किये थे। 21.6 प्रतिशत बाल अपराधी विघटित परिवार के थे, जिसमें माता–पिता अनुपस्थित थे। 50.5 प्रतिशत, जिसके एक ही अभिभावक माता या पिता थे। 24.3 प्रतिशत सौतेले माता या पिता थे। 19.7 प्रतिशत बाल अपराधी अति निर्धन परिवारों के थे, 47 प्रतिशत निर्धन परिवारों के थे, 16 प्रतिशत थोड़े ठीक परिवार के थे तथा 1 प्रतिशत अच्छे परिवार के थे। 16.3 प्रतिशत ऐसे बालक थे जिनकी आर्थिक स्थिति की गणना नहीं हो सकी। इन्होंने यह भी देखा की ज्यादातर बाल अपराध एक या दो कमरों के घरों में रहते थे जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे।

शर्मा, भारती (1990) ने बाल अपराधियों और उनकी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन किया इनके अध्ययन के तीन आयाम थे पहला सुधार संस्थाओं का बाल अपराधियों के प्रति उनके परिवार व मित्रा–मंडली से उनके समायोजन का अध्ययन करना। दूसरा, बाल अपराधी किस प्रकार से समाज में समायोजित होते है? उनकी भावात्मक स्थिति एवं सामाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। तीसरा, बाल अपराधियों की उप–संस्कृति का अध्ययन करना कि वे किस प्रकार से सुधार संस्थाओं में रहकर सुधार एवं पुर्नस्थापन करते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ज्यादातर बाल अपराधी 13 से 16 वर्ष की आयु के थे। ज्यादातर बाल अपराधियों का अपने माता–पिता के विरूद्ध नकारात्मक व्यवहार था। क्योंकि परिवार में बहुत झगड़े होते थे। अतः विघटित परिवारों से बाल अपराधी अधिक थे। ज्यादातर बाल अपराधियों का अपने मित्राों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वे अपराध में भी एक–दूसरे के साथ देते थे। इन्होंने बाल अपराधियों की संस्कृति का अध्ययन किया जिससे वे प्रभावित रहते हैं।

गुप्ता, विशेष (2009) 'दैनिक जागरण' समाचार पत्रा में एक लेख 'बाल हिंसा का मनोविज्ञान' प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि हिंसा और यौनाचार फैलाती फिल्में, मूल्यों को प्रभावित करने वाली फिल्में बालक को बहुत प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि 14–15 वर्ष के दो बच्चों ने 'अपहरण' फिल्म देखकर एक बच्चे का अपहरण करके इसकी हत्या कर दी। एक अन्य घटना 11 और 12 वर्ष के दो बालकों ने 9 वर्ष के एक बच्चे को कैंची घोंपकर मार दिया। इसके अतिरिक्त गुड़वाँव में यूरों इण्टरनेशनल स्कूल के 13 और 14 वर्ष के दो लड़कों ने अपने मित्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। अतः इस तरह बाल हिंसा की घटनायें सामाजिक मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ें कर रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में बाल अपराध की समस्या विषय के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हैः–

- इस अध्ययन के आधार पर भारत में बाल अपराध की समस्या का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्त्तमान अध्ययन के आधार पर भारत में बाल अपराध की स्थिति का अन्वेषन किया गया है।

अध्ययन पद्धति

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन भारत में बाल अपराध की समस्या के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्रा–पत्रिाकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

निष्कर्ष

बाल अपराध की समस्या, वर्तमान में, न केवल माता–पिता एवं परिवारजनों के लिए ही एक विकट एवं गंभीर समस्या है, बल्कि सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। आये दिन समाचार पत्राों में कोई न कोई खबर बाल अपराध से संबंधित पढ़ने सुननेको मिल ही जाती है। चाहे वह बलात्कारी से संबंधित हो, ट्रेन डकैती एवं लूटपाट से संबंधित, बिना टिकट यात्राा, हत्या से या फिर बाहनों की चोरी आदि से। बालकों एवं किशोरों किशोरों में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति पर कैसे नियंत्राण किया जाये, उन्हें किस प्रकार रोका जाये, यह सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक ज्वलंतम समस्या बनी हुई है। अतः बाल अपराध जैसी गंभीर समस्या पर नियंत्राण एवं बाल अपराधियों के सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। उनके समाज–विरोधी और राष्ट्रविरोधी कृत्यों को रोकना होगा नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का प्रत्येक बालक अपराध की चटेप में आ जायेगा।

संदर्भ

1. Hansa Sheth. Juvenile Delinquency in India Setting, Popular Book Depot, Bombay, 1961.
2. Sharma, Bharti. Juvenile Delinquents and their Social culture, Uppal publishing house, New Delhi, 1990.
3. Gupta Vishesh. Bal Hinsa ka manovigyan in Dainik Jagran, 2009.
4. Bajpai, Asha. Child Rights in India: Law, Policy and Practice, Oxford University Press, New Delhi, 2006.
5. Ahuja, Ram. Social Problems in India, Rawat Publications, Jaipur, 2000.